

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई33/ले.टे/()/2017

दिनांक :

आदेश

सुश्री योगिता शर्मा, लैब टेक्नीशियन, अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर को निजी यात्रा पर स्वयं के खर्चे पर दिनांक 20.07.2017 से 18.08.2017 तक विदेश जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है कि :-

1. कार्मिक को विदेश जाने से पूर्व निदेशालय स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर ही प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्युटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार की आई.डी क्रमांक 1003 दिनांक 20.06.2017 के अनुसरण में जारी की गई है।

९०

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक 10.7.17

क्रमांक :- ई33/ले.टे/()/2017 494

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप- 3) विभाग, राज. जयपुर।
3. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
4. सुश्री योगिता शर्मा, लैब टेक्नीशियन, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर